

कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प.भूप्रआ/समु/आरआर/11/2/10/13/पार्ट-11/

जयपुर, दिनांक:

भू-प्रबन्ध अधिकारी  
बीकानेर/भीलवाडा/जोधपुर/टोंक

विषय:- विज्ञा की अधिसूचना भिजवाने बाबत।

संदर्भ:- राजस्व (ग्रुप-1) विभाग का पत्रांक प.13(13)राज./ग्रुप-1/2011 दिनांक  
21.02.2017।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राज्य सरकार द्वारा जारी तहसील गुडामालानी, बनेडा, बिलाडा एवं उनियारा के समस्त ग्रामों के विज्ञा की अधिसूचना धारा-106, 107 एवं 108 दिनांक 21.02.2017 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

हू

(राजेन्द्र कुमार वर्मा )  
अति. भू-प्रबन्ध आयुक्त,  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प./समसंख्यक/545

जयपुर, दिनांक: 3.3-2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- ✓ 1. प्रोग्रामर, मुख्य कार्यालय, जयपुर को अधिसूचना की प्रति संलग्न प्रेषित है।

अति. भू-प्रबन्ध आयुक्त,  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक प0 13(13)राज.1/2011

राजस्थान सरकार  
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

जयपुर, दिनांक 21 FEB 2017

Sm  
11/3/17

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या-15) की धारा-106, 107 एवं 108 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा निर्देश देती है कि सम्पूर्ण जिला बाड़मेर, भीलवाडा, जोधपुर एवं टोंक में ग्राउण्ड कन्ट्रोल पाईन्ट कायम करने एवं इन जिलों की तहसील गुडामालानी, बनेड़ा, बिलाड़ा एवं उनियारा के समस्त ग्रामों के सर्वेक्षण/अभिलेखन कार्य राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत आधुनिक सर्वे यंत्रों यथा डीजीपीएस, ईटीएस के माध्यम से कार्य प्रारम्भ करवाने हेतु अधिसूचना संख्या पं. 13(13)राज./ग्रुप-1/2011 दिनांक 31.01.2012 प्रसारित की गई थी। चूंकि उक्त तहसीलों में उक्त पद्धति से अभी कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया है तथा वर्तमान में डिजिटल भू-अभिलेख आधुनिकीकरण योजना के माध्यम से कार्य किया जाना है। अतः इस अधिसूचना के प्रसारित होने की दिनांक से पूर्व प्रसारित उक्त अधिसूचनाओं को वापिस (विट्टा) करती है।

कार्यालय भू-प्रबन्ध विभाग राज., <del>जयपुर</del> पत्र-प्राप्ति 02 MAR 2017 क्रमांक ..... 171
--

राज्यपाल की आज्ञा से  
३०  
(दुर्गा जोशी)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. जिला कलक्टर, बाड़मेर/भीलवाडा/जोधपुर/टोंक।
3. भू-प्रबन्ध आयुक्त, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक भूपआ/समु/भूकर/11/2/10/13/पार्ट-11/4144 दिनांक 08.12.2016 के क्रम में।
4. अधीक्षक केन्द्रीय मुद्राणालय, राजस्थान जयपुर को एक अतिरिक्त प्रति प्रेषित कर निवेदन है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञापित की प्रति इस विभाग एवं भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान जयपुर को भिजवाने का श्रम करावें।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान भू-अभिलेख आधुनिकीकरण समिति, मुख्यालय, जयपुर।
6. परियोजना निदेशक, डीआईएलआरएमपी योजना, जयपुर।
7. भू-प्रबन्ध अधिकारी, बीकानेर/भीलवाडा/जोधपुर/टोंक।
8. रक्षित पत्रावली।

R12  
2/3/2017

संयुक्त शासन सचिव

RR/35  
31/17